



पीएम श्री केन्द्रीयविद्यालयकर्नूल/PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA KURNOOL
नंद्याल चेक पोस्ट के समीप /Near Nandayal Check post- 518002
शिक्षा मंत्रालय के अधीन /Under Ministry of Education
दूरभाष संख्या/Phone No. **08518-272667**:: ई. मेल/e-mail: **kvkurnool1523@gmail.com**
वेब साईट / Website: **kurnool.kvs.ac.in**::स्कूल कोड :School Code / **1523**
सी.बी.एस.ई. संबद्धता संख्या /CBSE Affiliation Number : **100032**



फा.सं./ के०वी०/कर्नूल/2025-26/

दिनांक : 22.01.2026

सार्वजनिक नीलामी सूचना/PUBLIC AUCTION NOTICE

वित्तीय वर्ष 2024-25 की निम्नलिखित निंदित एवं अनुपयोगी सामग्री की सार्वजनिक नीलामी, के.वि.सं. (KVS) के निर्देशों एवं सामान्य वित्तीय नियम (GFR) 2017 के नियम 217 एवं 221 के अंतर्गत दिनांक 02.02.2026 को अपराह्न 3:00 बजे, विद्यालय परिसर में की जाएगी।

The following condemned and unserviceable articles for the financial year 2024-25 will be auctioned as per the instructions of KVS and Rules 217 & 221 of GFR-2017 through public auction at 3:00 p.m. on 02.02.2026 in the Vidyalaya premises.

क्रम सं/S.No	विभाग का नाम/Name of the Department	विवरण/Remarks	स्वीकृत राशि / पुस्तकीय मूल्य (रु Approval amount/Book Value Rs.
1	कंप्यूटर परिधीय उपकरण/ Computer Peripherals	VVN	Rs.3,40,658/-
2	कंप्यूटर परिधीय उपकरण/ Computer Peripherals	SF	Rs.21,45,896

संबंधित विभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा संभावित बोलीदाताओं के निरीक्षण हेतु निंदित/अनुपयोगी सामग्री प्रदर्शित की जाएगी।The In-charge of the concerned department will exhibit the condemned/unserviceable articles for the inspection of prospective bidders.

इच्छुक व्यक्ति उसी दिन प्रातः 9:20 बजे से सामग्री का भौतिक निरीक्षण कर सकते हैं तथा नीलामी में भाग ले सकते हैं।Interested parties may physically inspect the articles on the same day from 9:20 a.m. onwards and may participate in the auction.

उच्चतम बोलीदाता, जिसकी बोली अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकार की जाएगी, को पूरी राशि जमा करनी होगी तथा सामग्री को उसी दिन प्रातः 11:30 बजे तक हटाना होगा।The highest bidder(s), whose bid is accepted by the undersigned, shall deposit the entire bid amount and remove the articles by 11:30 a.m. on the same day. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।The undersigned reserves the absolute right to accept or reject any bid without assigning any reason.

विद्यालय के कर्मचारी, उनके रिश्तेदार तथा विद्यालय की AMC फर्मों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं है।Members of the staff, their relatives, and AMC firms of the Vidyalaya are not permitted to participate in the auction.

प्रभारी/PRINCIPAL
The Deputy Commissioner, KVS Hyderabad Region
The Principal, KVS Kurnool
P.M. SRI KENDRIYA VIDYALAYA KURNOOL
The Comp. Dept. (In-charge to upload in website/Display in notice board)
Office Record



केन्द्रीय विद्यालय संगठन KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Under Ministry of Education, Govt of India

क्षेत्रीय कार्यालय - हैदराबाद / Regional Office - Hyderabad

पिकेट, सिकंदराबाद / Picket, SECUNDERABAD- 500 009

TEL. NOS. 040-27845649 [DC] 27847249 [AO] 27840122 (AC)

E-mail: dchyderabad@yahoo.com Website: www.rohyderabad.kvs.gov.in



दिनांक: 29.12.2025

फ. सं. 21029/2025-26/के.वि.सं.(है.सं) 173134-35

कार्यालय आदेश OFFICE ORDER

केन्द्रीय विद्यालय, कुरनूल द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित मद में उल्लेखित वस्तुओं (सी एस-49 के अनुसार) को बट्टे खाते में डालने की संस्तुति की गई है। संबंधित वस्तुओं के उपयोग हेतु निर्धारित सामान्य समय सीमा पूर्ण हो चुकी है और जो अब अप्रयोज्य हैं, पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए उपायुक्त द्वारा केविसं., नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ 16-1/99-केविसं. (प्रशा.-I) दिनांक 07.12.2001 एवं केविसं. (मुख्यालय) के पत्र संख्या एफ.110124(6)/2009-केविसं./बजट, दिनांक 26.08.2009 के द्वारा अनुपयोगी एवं अनुपयोज्य वस्तुओं के निपटान के संबंध में केविसं. के लेखा संहिता के अनुच्छेद 187 में संशोधन के उपरांत केविसं. (मुख्यालय) के पत्र संख्या एफ 16-1/99-केविसं. (प्रशासन-I), दिनांक 15.03.2012 के तहत उपायुक्त को प्रदत्त संशोधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्यालय विकास निधि (वीवीएन) मद के तहत राशि रु. 3,40,658/- (तीन लाख चालीस हजार छह सौ अठ्ठावन रुपये मात्र) एवं विद्यालय निधि खाते (एस.एफ. खाता) से रु. 21,45,896/- (इक्कीस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ छियानवे रुपये मात्र) की मूल्य की वस्तुओं को बट्टे खाते में डालने की अनुमति प्रदान की जाती है।

In exercise of the powers conferred on the Deputy Commissioner Vide KVS New Delhi letter No .F.16-1/99-KVS (Admn-I) dated 07.12.2001 and amendment in article 187 of Accounts Code of KVs in respect of condemnation and disposal of un-serviceable articles vide KVS(HQ) letter No F.110124(6)/2009-KVS /Budget dated 26.08.2009 and thereafter on delegation of revised powers vide KVS(HQ) letter No F 16-1/99-KVS(Admn-I) dated 15.03.2012, on being satisfied that the articles recommended for condemnation out of following account for the financial year 2025-26, by Kendriya Vidyalaya, Kurnool have outlived normal prescribed life and have become un-serviceable, sanction of the Deputy Commissioner to write off their book value amounting to Rs. 3,40,658/- (Rupees Three Lakhs Forty Thousand Six Hundred & Fifty-eight only) under VVN Account and Rs. 21,45,896/- (Rupees Twenty-One Lakhs Forty-five Thousand Eight Hundred & Ninety-six only) under SCHOOL FUND Account is hereby accorded.

क्र.सं./ S.No	भंडार का नाम/ Name of the Store	विविनि रु./ VVN in Rs.	एस एफ रु./ SF in Rs.	कुल रु./ Total in Rs.
1	Computer Department	3,40,658/-	21,45,896/-	24,86,554/-
	कुल/Total	3,40,658	21,45,896/-	24,86,554/-

जिन वस्तुओं को अनुपयोगी घोषित कर बट्टे खाते में डालने का आदेश दिया गया है, उनका निपटान केविसं. के निर्देशों और जीएफआर 2017 के नियम -217 से 221 में दिये गये दिशा - निर्देश के अनुसार किया जाएगा। The articles ordered to be condemned and written off will be disposed of by following the instructions of KVS in this regard and Rule 217 to 221 of GFR 2017.

स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि वर्ष 2025-26 के दौरान विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंध समिति (वीएमसी) की सीमा से अधिक की कोई वस्तुएं अनुपयोगी घोषित और बट्टे खाते में नहीं डाली गई हैं। The sanction is subject to the condition that no condemnation is done at the Vidyalaya level during the year 2025-26 exceeding VMC limit.

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।/This letter is issued with the approval of the competent authority.

श्रीमती नेहा
कार्यालय
पायल

रु. वि. शा. 10/12/25
(रेजी वी आर नाथ)
सहायक आयुक्त

वितरण/Distribution to:-

1. प्राचार्य केवि कुरनूल को उनके पत्र संख्या फा.सं./के.वि./Condmn/करनूल/2025-26 दिनांक 18.11.2025 के संदर्भ में इस निर्देश के साथ कि वे जीएफआर 2017 के नियम 217 से 221 में दी गई प्रक्रिया और केविसं. द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का उचित अनुपालन करते हुए ई-वेस्ट के माध्यम से वस्तुओं का निपटान सुनिश्चित करें। The Principal KV Kurnool, with reference to his letter no फा.सं./के.वि./Condmn/करनूल/2025-26 dated 18.11.2025 - with the direction to dispose the articles through e-waste following due procedure as per Rule 217 to 221 of GFR 2017 and instructions issued by KVS time to time.
2. वित्त अधिकारी, केविसं. क्षे. का. हैदराबाद को इस अनुरोध के साथ कि वे आंतरिक लेखा परीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित करें कि उक्त पृष्ठांक सं. 1 में निहित निर्देशों का विद्यालय द्वारा पालन किया गया है। The Finance Officer, KVS RO, Hyderabad with a request to ensure at the time of Internal Audit that the instructions contained in the endorsement No 1 above have been observed by the Vidyalaya.